A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

मिसल संख्या	तारीख दायर	तारीख फैसला	कुल पृष्ठ
100 / अपील / 2018	29.10.2018	24.02.2025	03

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर
आर.ए.एस

बउनवान

1. जसोदा बाई पुत्री श्री तुलस्या पत्नी श्री दुर्गालाल माली निवासी अमरत्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

–अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभुलाल आ0 श्री तुलस्या माली निवासी बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. गंगाबाई पुत्री श्री तुलस्या माली निवासी बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री कैलाश चन्द नामधराणी एड0
रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

1. यह अपील तहसीलदार हिण्डोली द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 1453 दिनांक 30.12.2010 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। अपीलाधीन आदेश से कृषि भूमि खसरा सख्या 1563 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा खसरा सख्या 2270 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सख्या 2369 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा सख्या 2370 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सख्या 4014 / 2264 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 7 रक़बा 9 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। अपीलान्ट के माता पिता के देहान्त के बाद उक्त भूमि में अपीलान्ट के भाई एवं बहन का नाम अंकित कर दिया गया तथा अपीलान्ट का नाम अकिंत नहीं किया गया। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ड संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के न्यायालय में असालतन / वकालतन उपस्थित नहीं होने से रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 06.02.2023 को एवं रेस्पो0 संख्या 2 के विरूद्ध दिनांक 10.08.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

2. बहस एकपक्षीय समाअत की गई।

A 6/2

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी
मु.स. 100/अपील/2018 बउनवान जसोदा बनाम प्रभुलाल वगैं0

3. अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सख्या 1563 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा खसरा सख्या 2270 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सख्या 2369 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा सख्या 2370 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सख्या 4014/2264 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त भूमि पूर्व में अपीलान्ट के पिता श्री तुलस्या के खाते की थी जो उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट के भाई रेस्पोडन्ट संख्या 1 प्रभुलाल व अपीलान्ट की मॉ श्रीमति केशर के नाम अंकित कर दी गई। श्रीमति केशर का 15–16 वर्ष देहान्त हो जाने पर केशर के स्थान पर उक्त भूमि में उक्त नामान्तरकरण के द्वारा केवल मात्र अपीलान्ट की बहन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गंगाबाई का नाम अंकित कर दिया गया एंव अपीलान्ट को जो कि श्रीमति केशर व तुलस्या की वैध जाईन्दा पुत्री है, का नाम अंकित नही किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 30.12.2010 को अपीलान्ट को बिना सुने एकतरफा पारीत किया गया है। किसी वैध उत्तराधिकारी को उसकी हक अधिकार की सम्पत्ति से पृथक नही किया जा सकता है, अपीलांन्ट का जन्म प्रमाण पत्र पत्रावली में सलंग्न है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 27.09.2018 को उक्त खाते की नकल प्राप्त करने पर हुई। तत्पश्चात अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की जो अपीलान्ट को दिनांक 16.10.2018 को प्राप्त हुई। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1453 दिनांक 31.12.2010 ग्राम बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी को निरस्त फरमायां जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावें कि वे उक्त भूमियों के खाते में श्रीमति केशर के स्थान पर अपीलान्ट का नाम भी राजस्व रिकार्ड में बतौर केशर के उत्तराधिकारी दर्ज किया जावें। अपीलांन्ट का जन्म प्रमाण पत्र पत्रावली में प्रस्तुत है।

4. पैरोकार सरकार ने अवगत कराया कि निर्णय गुणावगुण के आधार पर पारित किया जाना उचित होगा।

5. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस एकपक्षीय पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में कृषि भूमि खसरा सख्या 1563 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा खसरा सख्या 2270 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सख्या 2369 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा सख्या 2370 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सख्या 4014/2264 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बडोदिया तहसील हिण्डोली में स्थित है। उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता श्री तुलस्या के खाते की थी जो उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट के भाई रेस्पोडन्ट संख्या 1 प्रभुलाल व अपीलान्ट की मॉ श्रीमति केशर के नाम अंकित कर दी गई। श्रीमति केशर देहान्त हो जाने पर केशर के स्थान पर अपीलान्ट की बहन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गंगाबाई का नाम अंकित कर दिया गया अपीलान्ट का नाम अंकित नही किया गया। अभिभाषक अपीलांन्ट द्वारा अपीलान्ट जसोदा का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिससे जाहिर आया कि जसोदा श्री तुलस्या की पुत्री हैं एवं उक्त भूमि पैतृक भूमि है। अतः नामान्तरकरण संख्या 1453 दिनांक 31.12.2010 को खारिज करते हुए अपील

अति0 जिला कलक्टर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

मु.स. 100/अपील/2018 बउनवान जसोदा बनाम प्रभुलाल वगैं0

आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय को पत्रावली प्रति प्रेषित किया जाना उचित समझते है।

6. अतएवः परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 1453 दिनांक 31.12.2010 ग्राम बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी को निरस्त किया जाता हैं साथ ही न्यायालय की नैसर्गिग न्याय के सिधान्तों के तहत प्रतिपादित राय में प्रकरण को अधीनस्थ विचारणय न्यायालय तहसीलदार हिण्डोली को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं, कि वह प्रकरण का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के तहत समस्त विधिक उत्तराधिकारियों को संपूर्ण विधिक परीक्षण करे एवं समस्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये नये सिरे से निर्णय प्राप्ति के उपरांत 60 दिवस की अवधि में निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी